

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2013—भाद्र 2, शक 1935

#### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

अधिसूचना क्र. 58-एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

जिला (1)	नगरपालिका (2)	क्र. (3)	मनोनीत व्यक्ति का नाम / पता (4)
उमरिया	उमरिया		<ol style="list-style-type: none"><li>श्रीमती शैलजा राय, पति श्री गोकुल प्रसाद राय, वार्ड नं. 10, कैम्प पोस्ट ऑफिस, उमरिया.</li><li>श्री नरेन्द्र गिरी गोस्वामी, पिता श्री चन्दन गिरी गोस्वामी, वार्ड नं. 8, खलेसर, उमरिया.</li><li>श्री भास्कर सिंह चन्देल, पिता श्री रूक्मण रमण सिंह, वार्ड नं. 09, खलेसर, उमरिया.</li><li>श्री अगम सिंह बघेल, पिता श्री धनुषधारी सिंह बघेल, वार्ड नं. 14, सुभाषगंज, उमरिया.</li></ol>
	पाली		<ol style="list-style-type: none"><li>श्री सरजू प्रसाद अग्रवाल, पिता श्री पदमचन्द्र अग्रवाल, वार्ड नं. 8, पाली.</li><li>श्री मुसाफिर राय, पिता श्री बी. एल. राय, वार्ड नं. 14, पाली.</li><li>श्री रवीन्द्र मोटवानी, पिता श्री मोट्टमल मोटवानी, वार्ड नं. 8, पाली.</li><li>श्री रामधनी प्रधान, पिता श्री गोपाली प्रधान, वार्ड नं. 01, पाली, जिला उमरिया.</li></ol>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.